हदीस एक पहचान

इस छोटी सी किताब को लिखने की जरूरत इसलिये महसूस हुई कि जब हमने देखा कि आम मुसलमान को अपने रसुल सललाल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जिसे हम हदीस कहते है कि बारे मे बहुत अधिक मालुमात नही है इससे वो बेचारे उन मुल्लाओ के हाथो के कठपुतली बने हुए है जो उनको गुमराही के अंधेरो मे धकेल कर उन्हे इल्म के करीब भी नहीं जाने देते और अपने पीरो, आलिमो, दरवेशो की किताबे जिसमे सिर्फ बकवास लिखी होती है उसका दर्स देते रहते है और उसी बकवास को वो बेचारे अपने लिए हुज्जत समझते है । जबकि दुसरी तरफ रसुले अरबी सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम के वो फरमाने आलीशान मौजूद है जिसे अगर किसी ने समझ लिया तो उसकी जिन्दगी संवर जाये, मगर वो ताअस्सुब पसंद मुल्ला उन गरीब मुसलमानो को आपके फरमान के करीब नहीं जाने देते और ना ही अल्लाह के कलाम के करीब जाने देते है यह कहकर की यह आपकी समझ मे आने वाली चीज़े नहीं है । जबकि ये ना़जिल ही आम आदमी के लिए हुए है । इससे वो हर उस चीज़ को हदीस समझ लेते है जो आप सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई हो, और इसमे वो सहीह, मुतवातिर, जईफ, मौजू, मुर्सल, शाज, मुन्कर, जैसी हदीसो मे इम्तेयाज़ नहीं कर पाते और एक बहुत बड़ा तबका जईफ हदीसो पर अमल पैरा होकर जहन्नम की आग अपने वास्ते जमा कर रहा है । क्योकि आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जईफ और मौजू हदीसो के बारे मे बहुत सख्त तंबीह फरमाई :-

‘मुझ पर झूठ ना बांधो क्योकि जो मुझ पर झूठ बांधता है वो आग मे दाखिल होगा ।’

(बुखारी किताबुल इल्म 106, मुस्लिम मुकदमा 1, तिर्मिजी किताबुल इल्म 2660, इब्ने माज़ा 31,)

हदीस के इल्म को आम आदमी तक पहुंचाने की यह एक छोटी सी कोशिश इस्लामिक दावाअ सेन्टर, रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से है अल्लाह इसे कुबुल फरमाये और हमारी निजात का ज़रिया बनाये आमीन ।

हदीस की तारीफ

लुगती ऐतबार से लफ्ज़ हदीस का मायना है ‘किसी चीज का नया और जदीद होना’ इस की जमा खिलाफे कयास ‘अहादीस’ आती है, जबकि सतही तौर पर हदीस की तारीफ ये है :–

‘हर वह कौल, फेल और तकरीर या सिफत जो नबी करीम सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो इसे हदीस कहते है ।‘

(तकरीर से मुराद है कि रसुल अल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी मे कोई काम हुआ हो और आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तेयार की हो इस किस्म की हदीस को तकरीरी हदीस कहते है)

हदीस की किस्मे

कुबुल करने और रद्द करने के लेहाज़ से उलमाओ ने हदीस की दो किस्मे की है :–

(1) मकबूल (2) मर्दूद

हदीसे मकबूल

सहीह हदीस को मकबूल कहते है जम्हूर के नज़दीक हदीसे मकबूल पर अमल वाजिब है

हदीसे मर्दूद

जईफ हदीस को मर्दूद कहा जाता है

मकबूल हदीस की किस्मे

1 सहीह

2 हसन

सहीह हदीस की तारीफ

रावियो के कसरत से रिवायत करने से हदीस हम तक पहुंचती है मोहद्दसीन ने सहीह हदीस की तारीफ यूं की है जो हदीस आदिल रावी ने दुसरे आदिल रावी से रिवायत की हो और ये कड़ी रसुले

अकरम सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाये जिस हदीस मे ये नीचे लिखी बाते पाई जाये वो हदीसे सहीह होगी ।

(1) पहली बात ये है कि सहीह हदीस मुसनद होती है जो अपने पहले रावी से लेकर आखिरी रावी तक पहुंचती है । इसकी कोई कड़ी टूटी हुई ना हो, मुसनद को मौसूल और मुतसल भी कहते है बाज़ अवकात मुहद्दसीन किराम मुसनद व मुतसल मे फर्क भी करते है वो फर्क ये है कि मुसनद लाज़मन हदीस मर्फूह होती है जो ज़ात नबवी तक पहुंच कर खत्म होती है, बर खिलाफ मुतसल वो हदीस है जिस की तमाम क्ड़िया मिली हुई हो यानि हर रावी ने अपने ऊपर वाले रावी से सुना हो ख्वाह वो हदीस मर्फुह हो या मौकूफ (सिर्फ सहाबी तक पहुंची हो) ।

(2) दुसरी बात ये हो तो उसके सभी रावी आदिल, तकवा परस्त, बा मुरव्वत, हो और फासिक, बिदअती, शिर्क करने वाला न हो ।

(3) तीसरी बात ये है कि उसका हाफिज़ा बहुत अच्छा हो जिसके दुसरे लोग भी गवाह हो इसमे दो किस्मे है एक तो जब चाहे बिना तकलीफ बयान कर दे (बिना एक अल्फाज के हेर–फेर के) या फिर लिख लेता हो ।

(4) चौथी बात ये है कि हदीस शाज़ नहीं होना चाहिये शाज़ से मुराद वो रिवायत जिसमे सिका रावी अपने से ज्यादा सिका रावी की मुखालेफत करे ।

(5) पांचवी बात ये है कि वह हदीस मलूल नहीं होना चाहिये मतलब रावी ने वहम की वजह से कोई तब्दीली की हो और जिसका पता कुरआन से और तमाम सनदो (रावियो) को जमा करने से पता चल गया हो ।

(6) छठवीं बात ये कि उस हदीस पर मोहद्दसीनो ने कोई फन्नी (इल्मी) कलाम नहीं किया हो यानि उस पर किसी मोहद्ददीस ने कोई कमी देखी हो और उस तरफ इशारा किया हो ।

जिस हदीस मे ये बाते मौजूद हो वो हदीसे सहीह कहलाती है इसकी दो किस्मे होती है सहीह लिजातीह, सहीह लिगैरीह, सहीह लिजातीह मे ऊपर मौजूद **6** बाते होती है और लिगैरीह मे कोई कमी

होती है उसे किसी और बिला पर सहीह करार दिया जाता है । सहीह लिग़ैरीह का दर्जा हसन लिजातीह से ऊपर होता है । जब हदीसे सहीह मिल जाये तो उस पर अमल वाजिब होता है, इससे किसी इमाम, किसी मुहद्दीस, किसी फुकहा, किसी आलिम, ने इंकार नहीं किया है ।

हसन हदीस की तारीफ

वो हदीस जिसमे सहीह हदीस के खुबिया तो मौजुद हो मगर हाफिजे के ऐतबार से इसके रावी सहीह हदीस के रावी से कमतर हो ऐसी हदीस हसन हदीस होती है इसमे मे दो दर्जे है हसन लिजातीह और हसन लिग़ैरीह । ये मकबूल हदीस की किस्म है ।

सहीह हदीस की किस्मे

मुतवातिर:- वो हदीस जिसे बयान करने वाले रावियो की तादाद इस कदर ज्यादा हो कि उन सब का झूठ पर जमा हो जाना अक्ल न माने ।

अहद:- खबर वाहिद की जमा है इस से मुराद ऐसी हदीस है जिस के रावियो की तादाद मुतवातिर हदीस के रावियो से कम हो ।

मर्फूह:- जिस हदीस को नबी सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया हो ख्वाह इस की सनद मुतसल हो या न हो । (मुतसल वो हदीस है जिस की तमाम क़डिया मिली हुई हो यानि हर रावी ने अपने ऊपर वाले रावी से सुना हो)

हदीसे मर्दूद

हदीसे मर्दूद को हदीसे जईफ भी कहा जाता है इस की बेहतरीन तारीफ ये है 'जईफ हदीस वो है जिसमे हदीस सहीह व हसन की सिफात न पाई जाती हो' ।

जईफ का मतलब उर्दू ज़बान मे कमज़ोर और बूढ़े शख्स के लिये इस्तेमाल होता है मगर उसूले हदीस मे अरबी ज़बान मे हदीस के जईफ होने का मतलब उलमा के नज़दीक उसका अल्लाह के रसुल सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम का कलाम होना यकीनी न होना बल्कि मशकूक (जिस पर शक हो) हो । और अगर यह यकीन हो जाये की ये कलाम आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ही नहीं तो फिर वह हदीस मौजू (झूठी, गढ़ी हुई) होती है ।

हदीसे जईफ की किस्मे

जईफ हदीस को अहले इल्म ने सहीह हदीस की मुख्तलिफ शरायत पाये जाने के एतबार से मुख्तलिफ किस्मो मे तकसीम किया है जिनका जिक्र ये है :–

मोअल्लिक, मुर्सल, मोअज़्ज़िल, मुनकतेए, मुदल्लिस, मौजू, मतरूक, मुन्कर, मुदरज, मकलूब, मुजतरेब, मुस्सहफ, शाज़, मोअल्लिल,

अगर सनद मुतसल (यानि जिसकी तमाम क़डिया मिली हो यानि हर रावी ने अपने ऊपर वाले रावी से यकीनी सुना हो) न हो तो जईफ हदीस को पांच किस्मो मे तकसीम किया गया है ।

(1) **मोअल्लिक** :– वो हदीस जिसकी सनद(रावियो की कड़ी) की इब्तेदा (शुरूआत) से एक या ज्यादा रावी इकट्ठे ही साकित (छुपे हुये) हो ।

(2) **मुर्सल :–** वो जईफ हदीस जिस की सनद के आखिर से ताबई के बाद वाला रावी साकित(छुपा हुआ) हो । यानि आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताबई के बीच कोई साहबी रजिल्लाह न हो और ताबई बिना साहबी के वास्ते सीधे रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम से रिवायत करे ।

(3) **मोअज़्ज़िल :–** वो जईफ हदीस जिसकी सनद मे से दो या ज्यादा रावी एक के बाद एक या दीगर एक ही जगह से साकित हो ।

(4) **मुनकतेए :–** वो जईफ हदीस जिसकी सनद किसी भी वजह से मुतसल न हो ।

(5) **मुदल्लिस :–** वो हदीस जिस मे किसी रावी ने सनद के ऐब को छुपा कर इस की तहसीन को ज़ाहिर किया हो ।

अगर रावी आदिल न हो तो जईफ हदीस को तीन किस्मो मे तकसीम किया जाता है ।

(1) **मौजू :–** वो झूठी, मनगंठत और खुद साख्ता बात जिसे रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया हो ।

(2) **मुतरक :–** वो हदीस जिस के किसी रावी पर झूठ की तोहमत का इल्जाम हो ।

(3) **<u>मुन्कर :–</u>** वो हदीस जिस के किसी रावी मे फहश, गल्तियां, इन्तेहाई, गफलत या फासिक का ज़ाहिर होना मालूम हो । यानि जईफ हदीस की वो किस्म जिस का कोई रावी फासिक, बिदअती, बहुत ज्यादा गल्तियां करने वाला या बहुत ज्यादा गफलत बरतने वाला हो ।

अगर रावी का हाफिज़ा सहीह न हो जईफ हदीस को चार किस्मो मे तकसीम किया जाता है ।

(1) **<u>मुदरज :–</u>** वो हदीस जिस की सनद का बदल दी गई हो या बगैर किसी वजाहत के इस के मतन मे कोई इज़ाफी बात दाखिल कर दी गई हो ।

(2) **<u>मकलूब :–</u>** वो हदीस जिस की सनद या मतन के एक लफ्ज़ को दुसरे लफ्ज़ के साथ बदल दिया गया हो या इन मे तकदीम या ताखिर कर दी गई हो ।

(3) **<u>मुजतरेब :–</u>** वो हदीस मुख्तलिफ सनद से मरवी हो जबकि वो कुव्वत मे भी मसावी हो ।

(4) **<u>मुस्सहफ :–</u>** वो हदीस जिस मे सिका रावियो के बयान करदा अल्फाज़ के बर अक्स ऐसे अल्फाज़ बयान किये गये हो जो लफ्ज़ी या माअनवी तौर पर मुख्तलिफ हो ।

अगर कोई सिका रावी अपने से ज्यादा सिका रावी की मुखालेफत करे तो जईफ हदीस की एक ही किस्म बनाई जाती है

(1) **<u>शाज़ :–</u>** वो जईफ हदीस जिसे कोई मकबूल रावी अपने से ज्यादा अफज़ल रावी की मुखालेफत मे बयान करे ।

<u>जईफ हदीस की सबसे बुरी किस्म</u>

जईफ हदीस की किस्मो मे से सबसे बुरी और कबीह किस्म 'मौजू' है बाज़ अहले इल्म ने तो इसे एक मुस्तकिल किस्म करार दिया है और इसे जईफ हदीस की किस्मो मे शुमार ही नही किया । अहले इल्म का इत्तेफाक है कि जान बूझ कर मौजू रिवायत को इस की हकीकत जिक्र किये बगैर ही बयान कर देना हराम है क्योकि एक सहीह हदीस मे रसुलूल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है :–

<u>''जिस ने जान बूझ कर मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना दोजख बना ले ''</u>

(सहीह बुखारी 107, अहमद 8784, इब्ने अबी शैबा 762/8, इब्ने हब्बान 28)

एक दुसरी हदीस मे रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है :-

''जिस ने मुझ से कोई हदीस बयान की और वो जानता भी है कि ये झूठ है तो वो खुद झूठो मे से एक है''

(मुकदमा मुस्लिम, तिर्मिजी2662, इब्ने माज़ा, 41, अहमद 20242, इब्ने हब्बान 29 तबलिसी 38/1 इब्ने अबी शैबा 595/8)

एक और हदीस मे ये लफ्ज़ है कि रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फरमाया :-

''मुझ पर झूठ न बांधो क्योकि जो मुझ पर झूठ बांधता है वो आग मे दाखिल होगा''

(सहीह बुखारी 106, तिर्मिजी 2660, इब्ने माज़ा 31, इब्ने यहला 613, तबलिसी 107)

जईफ हदीस को जिक्र करने का हुक्म

जईफ हदीस को जिक्र करना जायज़ नहीं अलबत्ता इसे सिर्फ इस सुरत मे बयान किया जा सकता है कि इस के जईफ को भी साथ ही बयान किया जायेगा । ताकि लोगों को इल्म हो जाये कि ये बात रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब तो की गई है मगर साबित नहीं । क्योकि अगर जईफ हदीस को इसका जईफ बयान किये बगैर ही आगे नकल कर दिया गया तो यकीनन एक तरफ ये रसुलुललाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम पर बोहतान होगा और दूसरी तरफ लोगों को गुमराह करने का जरिया जो यकीनन जायज़ नहीं ।

वाज़ेह रहे कि जईफ हदीस को बयान करने वाला दो हालातो से खाली नहीं है :-

1 इसे हदीस के जईफ होने का इल्म हो 2 इसे ये इल्म न हो

अगर इसे हदीस के जईफ होने का इल्म था और इस ने फिर भी इसे इस का जईफ वाजेह किये बगैर आगे बयान कर दिया तो लाज़मन इस पर रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की बयान करदा ये वाईद सादिक आयेगी:-

''जिस ने मुझ से कोई हदीस बयान की और वो जानता भी है कि ये झूठ है तो वो खुद झूठो मे से एक है'' (मुकदमा मुस्लिम, तिर्मिजी2662, इब्ने माज़ा, 41, अहमद 20242, इब्ने हब्बान 29 तबलिसी 38/1 इब्ने अबी शैबा 595/8)

और अगर इसे हदीस के जईफ होने का इल्म ही नहीं था तो फिर भी वो रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से गुनाहगार जरूर होगा :–

''आदमी के झूठा होने के लिये यही काफी है कि वो जो सुने उसे आगे बयान कर दे''

(मुस्लिम मुकदमा 5, अबू दाऊद 4992, इब्ने अबी शैबा 595/8,इब्ने हब्बान 30, हाकिम 381/1)

इस हदीस पर इमाम मुस्लिम रह0 ने ये बाब बांधा है :–

''हर वो बात जिसे इंसान सुने (बिला तहकीक) उसे आगे बयान करना मना है''

चुनांचे अल्लाह फरमाता है :–

''ऐ मुसलमानो अगर तुम्हे कोई फासिक खबर दे तो तुम उस की अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो ऐसा न हो कि नादानी मे किसी कौम को अज़ा पहुंचा दो फिर अपने किये पर शर्मिन्दगी उठाओ'' (सुरह तलाक–2)

खुलासा कलाम ये है कि हदीस बयान करते वक्त इन्तेहाई एहतियात से काम लेना चाहिये जब तक तहकीक के जरिये किसी हदीस की सेहत के बारे मे कामिल यकीन न हो जाये इसे आगे बयान नहीं करना चाहिये हां अगर कही जईफ या मौजू रिवायत को बयान करने की जरूरत पेश आ जाये तो वो साथ ही इस की हालत भी वाजेह कर देनी चाहिये की ये जईफ है या मौजू । और बयान करते वक्त ये न कहा जाये कि आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बल्कि गैर पुख्ता अल्फाज़ मे यूं कहा जाये कि रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह रिवायत किया जाता है, या इस तरह नकल किया जाता है या हमे आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह पहुंचा है ।

जईफ हदीस पर अमल का हुक्म

जईफ हदीस पर अमल के सिलसिले मे अहले इल्म के दरम्यिान इख्तेलाफ है, जम्हूर अहले इल्म की राय ये है कि फज़ाइल आमाल मे उन पर अमल मुस्तहब है मगर इस के लिये तीन शर्ते है जैसा कि हाफिज़ इब्ने हजर रह0 ने लिखा है :–

1) इसका जईफ शदीद न हो

2) वो हदीस किसी मामूल और साबित शुदा उसूल के तहत आती हो

3) अमल करते वक्त इसका सुन्नत होने का इतेकाद न रखा जाये बल्कि एहतियात की नीयत से अमल किया जाये ।

जईफ हदीस पर अमल दर हकीकत बिदअत की ईजाद

फजाइल और तर्गीब मे जईफ अहादिस को बयान करने और उन पर अमल को मुस्तहब करार देने का नतीजा ये हुआ कि बिदअत व खुराफत की इब्तेदा हुई । लोगो ने कम इल्म खतीब से जईफ की वजाहत के बगैर जईफ अहादिस सुने और उन पर अमल शुरू कर दिया । आहिस्ता आहिस्ता ये अमल ऐसा पुख्ता हुआ कि लोगों ने इसी को दीन समझ लिया और ये जानने की जरूरत ही महसूस न की कि जो अमल हम दीन समझ कर इख्तेयार किये बैठे है इस की बुनियाद किताब व सुन्नत है या जईफ व मनगंठत रिवायत है । फिर आने वाली नस्लो ने जिस तरह अपने अकाबरीन को उन बिदअत पर अमल करते हुऐ देखा उसी तरह खुद भी उन्होने अपना लिया और सहीह अहादिस के मुकाबले मे अपने बड़ो के अमल को ही बरहक समझा । नतीजा लोगों के अकाईद व अमाल जईफ और मनगंठत हदीसो के भेट चढ़ गये ।

जईफ हदीस की बुनियाद पर दौरे हाजिर मे होने वाली चंद बिदअते

(1) ये अकीदा रखना की सारी दुनिया की तखलीक (पैदाईश) नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये हुई ।

इस अकीदे की बुनियाद ये मनगंठत (मौजू) रिवायत है :-

''(ऐ पैगम्बर) अगर तु न होता तो मै कायनात पैदा न करता'' (मौजू, सिलसिला जईफ 282)

(2) ये अकीदा रखना की सबसे पहले नबी का नूर पैदा हुआ ।

इस अकीदे की बुनियाद ये बातिल और मौजू रिवायत है :-

''ऐ जाबिर । अल्लाह तआला ने सब से पहले जो चीज़ पैदा की वो तेरे नबी का नूर था''(सि0 जईफ 458)

(3) ये अकीदा रखना की हर दरूद पढ़ने वाले की आवाज़ नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचती है ।

इस अकीदे की बुनियाद ये जईफ रिवायत है :-

''जुमाअ के रोज मुझ पर कसरत के साथ दरूद पढ़ा करो, बिला शुब्हा ये ऐसा दिन है जिसमे फरिश्ते हाजिर होते है, जो आदमी भी मुझ पर दरूद पढ़ता है इस की अवाज़ मुझे पहुंच जाती है वो

जहां कही भी हो (सहाबा कहते है) हम ने अर्ज किया आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी ? तो आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी वफात की बाद भी । बेशक अल्लाह तआला ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मो को खाना हराम कर दिया है'' (जईफ, इसकी सनद सहीह न होने की वजह ये है कि इस मे सईद बिन मरयम और खालिद बिन यजीद के दरमियान इत्तेफाक नहीं, तहजीब 178/2)

(4) ये अकीदा रखना की उम्मत के अमाल नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किये जाते है इस अकीदे की बुनियाद मुख्तलिफ जईफ रिवायत है जिनमे से एक ये है :-
''हर जुमाअ को मुझ पर मेरी उम्मत के अमाल पेश किये जाते है'' (जईफ, ये रिवायत इसलिये जईफ है क्योकि इस की सनद मे दो रावी मज़रूह है एक अहमद बिन ईसा और दुसरा उबाद बिन कसीर बसरी) ।

(5) वुजू के दरमियान गर्दन का मसह करना ।

इस अमल की बुनियाद चंद जईफ रिवायत है जिन मे से एक ये है :-
''हज़रत वाईल बिन हुज्र रदिअल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक तवील मरफू रिवायत मे ये लफ्ज़ है (मसहा रकाबतहू) आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (वुजू करते हुए) अपनी गर्दन का मसह किया'' (जईफ, ये रिवायत तीन रावियो के बिला पर जईफ है 1 मुहम्मद बिन हजर 2 सईद बिन अब्दुल जाबिर 3 इब्ने तरकमानी)

''गर्दन का मसह (रोजे कयामत) तौक से निजात का ज़रिया है'' (मौजू, सिलसिला जईफ 69)

(6) वुजू के बाद आसमान की तरफ देखना और उंगूली उठाना ।

ये अमल किसी सहीह हदीस से साबित नहीं इसी लिये उलमा ने इसे बिदअत मे शुमार किया है, नीज़ जिस रिवायत मे आसमान की तरफ देखने का जिक्र है इस मे इब्ने उम्मा अबी अकील रावी मजहूल है इस लिये वो जईफ है (जईफ, अबू दाऊद 31, 170, हाफिज इब्ने हजर ने इसे जईफ कहा है)

(7) अज़ान के दरमियान अंगूठो के साथ आंखे चुमना ।

इस अमल की बुनियाद वो रिवायत है जिस मे है :–

''जिस शख्स ने मोअज्ज़िन के ये कलमात ''अश्हदु अन्ना मुहम्मदर रसुलुल्लाह'' सुन कर कहा ''मरहबा बेहबीबी व कुर्रती ऐनी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह'' फिर अपने अंगूठो को बोसा ले कर उन्हे अपनी आंखो पर लगाया वो कभी आंख की तकलीफ मे मुबतिला नही होगा '' (सिलसिला जईफ 73, इमाम सखावी रह0 ने इस रिवायत को नकल करने के बाद कहा है कि इस से कुछ भी मरफू साबित नहीं)

(8) जुमाअ के रोज वालिदैन की कब्रो की ज़ियारत का खास एहतेमाम करना ।

इस अमल की बुनियाद मनगंठत रिवायत है :–

''जिस शख्स ने हर जुमाअ के रोज़ अपने वालदैन की कब्रो की ज़ियारत की उस के गुनाह बख्श् दिये जायेगे और उसे नेकोकार लिख दिया जायेगा'' (मौजू, सिलसिला जईफ 49)

(9) कब्रो पर सुरह यासीन की तिलावत करना ।

इस अमल के बुनियाद जिन मनगंठत और जईफ रिवायत पर है उन मे से एक ये है :–

''जो कब्रिस्तान मे दाखिल हुआ और उस ने सुरह यासीन की किरात की तो अल्लाह तआला उन (कब्र वालो से आजमाईश मे) नरमी फरमाएगा और उसे (यासीन पढ़ने वाले को) इस कब्रिस्तान मे दफन लोगों के बराबर नेकियां मिलेगी ।''(मौजू, सिलसिला जईफ 1246)

(10) शबे बरात की रात इबादत के लिये खास करना ।

इस अमल की बुनियाद वो जईफ रिवायत है जिस मे है :–

''बिला शुब्हा अल्लाह तआला 15 शाबान की रात को पहले आसमान की जानिब उतरते है और बनु कलीब की बकरियों के बालो से ज्यादा अफराद को बख्श् देते है'' ।(जईफ, तिर्मिजी 739, इब्ने माज़ा 1389)

अहले बिदअत का इबरतनाक अंजाम

बिदअती का अमल कुबूल नहीं होता :-

(1) इरशादे बारी तआला है कि :-

''ऐ पैगम्बर कह दीजिये की क्या मै तुम्हे बता दू कि बा एतबारे अमाल सब से ज्यादा खसारे मे कौन है । वो है जिन की दुनियावी जिन्दगी की तमाम तर कोशिश बेकार हो गई और वो इसी गुमान मे रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे है'' (सुरह अल कहफ 103:104)

(2) हजरत आयशा रजि0 बयान करती है है कि रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :-

''जिसने हमारे इस दीन मे कोई ऐसा चीज ईजाद की जो इस मे से नहीं तो वो काबिल रद है'' (सहीह, अबू दाऊद 4606, इब्ने माज़ा 14)

(3) हज़रत आयशा रजि0 बयान करती है कि रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :-

''जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नही वो मर्दूद है''(सहीह, तर्गीब 49)

बिदअती की तौबा कुबूल नहीं होती :-

हज़रत अनस बिन मलिक रदिअल्लाह अन्हू से मरवी है कि रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ''बिला शुब्हा अल्लाह तआला उस वक्त तक किसी भी बिदअती की तौबा कुबुल नहीं फरमाते जब तक वो बिदअत को छोड़ न दे'' (सहीह तर्गीब54, तबरानी)

जईफ व मौजू अहदीस के मुत्तालिक रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह

हज़रत अबूहुरैरा रजि0 से मरवी है कि रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''आखिरी ज़माना मे दज्जाल और कज्जाब होगे, वो तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी हदीस पेश करेगे जो न

कभी तुमने सुनी होगी और न ही तुम्हारे अबा अजदाद ने, लेहाज़ा अपने आप को उन से बचाए रखना, वो तुम्हे गुमराह करे और फितने मे डाल दे''(मुस्लिम 7 तहावी 2954)

जईफ अहदीस और बिदअत पर अमल से हम कैसे बचे?

इस के लिये सब से पहले तो ये जरूरी है कि किसी भी खतीब या वाज़ के बयान करदा मसले को बिला दलील और बिला हवाला कुबुल न किया जाये दुसरे ये कि हम अपने अंदर दीनी मसाईल की तहकीक का शौक पैदा करे, खुद किताब व सुन्नत, सहीह अहदीस की किताबे और दीगर दीनी किताबो का मुताला करे, जब कोई बात समझ न आये या कोई इख्तलाफी मसले मे कुछ सुझाई न दे तो सिर्फ अपने इलाकाई एक आलिम की बात पर ऐतबार न करे और न सिर्फ एक मजहब मकतबे फिक्र की दलाइल पर ऐतबार करे बल्कि दुसरें आलिमो और दुसरे मजहब मकतबे फिक्र के दलाइल पर भी गौर करे, फिर इनके दलाईल को किताब व सुन्नत, सहीह अहदीस और मुहद्दसीन के मुकर्रर करदा उसूले हदीस पर परखे, फिर जिस की राय अलल हक मालूम हो उसे मजबूती से पकड़ ले लेकिन यहां ये भी याद रहे कि अगर इस के बाद फिर कभी मालूम हो कि ये बात भी दुरूस्त नहीं थी बल्कि कोई और बात कदीम हक है तो अपनी इस्लाह कर ले ।

हमे ये ज़हन नशी कर लेना चाहिये कि जब हम दुनियावी चीजे हासिल करने के लिये तहकीक करते है कि फला चीज कैसी है, कहां से मिलेगी, मुनासिब कीमत पर कहां से मिलेगी, कौन सी ज्यादा फायदेमंद है वगैरह वगैरह इस के लिये लोगों से पूछताछ करते है, मुख्तलिफ बाज़ारो की खान छांनते है, वक्त निकालते है, तो हम ये कैसे सोच लेते है कि सही दीनी मामलात बगैर हमारी मेहनत कोशिश और बगैर तहकीक व तफशीश् के हमारे घरो मे पहुंच जायेगा । हांलाकि दीनी मामले दुनियावी मामलो से ज्यादा तवज्जो के हकदार है । क्योकि इसका ताल्लुक आखिरत से है और हम दुनिया मे पैदा ही सिर्फ इसलिये किये गये है कि हम अपनी आखिरत को संवार ले ।

जईफ अहदीस की पहचान के सिलसिले मे शेख्व मुहम्मद सलाह रह0 का बयान

किसी ने दरयाफ्त किया कि आप के इल्म मे होना चाहिये कि हम पर नबी करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबाअ जरूरी है, लेकिन हम आज ये यकीन कैसे करे कि मौजूदाअहदीस तब्दील शुदा या झूठी नही? गुजारिश है कि आप ये ज़हन मे रखे मै अहदीस को न तो सहीह कहता हूं

और न ही किसी हाल मे गलत कहता हूं, लेकिन कुछ मुसलमानो ने जितनी भी अहदीस मुझे बयान की वो सब की सब जईफ और मौजू थी, मै अपनी ताकत के एतबार से सभी पर अमल करता हूं आप से गुजारिश है कि इस सिलसिले मे मालूमात दे? शेख ने जवाब दिया :-

(1) अल्लाह तआला ने अपने दीन की हिफाजत का जिम्मा ले रखा है और इसीलिये किताबुल्लाह की हिफाजत एक मोजेजा है और इस के साथ सुन्नते नबवी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कि कुरआन मजीद को समझने का जरिया है अल्लाह तआला का फरमान कुछ इस तरह है :-

''बिला शुब्हा हम ने ही जिक्र को ऩाजिल फरमाया और हम ही इस की हिफाज़त करने वाले है''(अलहिज्र;9)

इस आयत मे जिक्र से मुराद कुरआन और सुन्नत है क्योकि ये दोनो को शामिल होता है ।

(2) बहुत से लोगों ने माज़ी और हाजिर मे ये कोशिश की कि शरीयत मुताहरा और अहादिस नबवी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम मे जईफ और मौजू अहदीस दाखिल की जाये लेकिन अल्लाह तआला ने उन की ये कोशिश कामयाब नहीं होने दी और ऐसे असबाब मुहया कर दिये जिस से अपने दीन की हिफाजत फरमाई इन्ही असबाब मे से सिका उलमाए किराम की जमाअत है जिन्होने रिवायत अहदीस की छान भटक की उन के सनद का पीछा किया और रावियो के हालत का पता चलाया । हत्ता की उन्होने ये भी जिक्र किया कि रावी को इख्तेलात (confusion, उलझन, उम्र ज्यादा हो जाने पर कुव्वते हाफिजा मे जो तकलीफ पैदा होती है) कब हुआ और इख्तेलात से पहले इससे किस ने रिवायत की और इख्तेलात के बाद किस ने रिवायत बयान की, और वो ये भी जानते है कि रावी ने सफर कहां और कितने किये और किस किस मुल्क और शहर मे दाखिल हुआ और वहां किस किस से हदीस हासिल की, तो इस तरह ये एक लंबी फेहरिस्त बन जाती है जिस का यहां शुमार करना मुमकिन नहीं, ये सब कुछ इस पर दलालत करता है कि दुश्मनाने इस्लाम जितनी भी तहरीफ व तब्दील की कोशिश कर ले फिर भी ये उम्मत अपने दीन की हिफाज़त करती है और दीन महफूज़ है ।

सुफियान सुरी रह0 का कौल है :-

''फरिश्ते आसमान के पहरे दार है और अहले हदीस ज़मीन के पहरेदार है''

हाफिज़ ज़हबी रह0 ने जिक्र किया है :–

''हारून रशीद (अब्बासी खलीफा) जब एक ज़न्दिक को कत्ल करने लगा तो उस बेदीन ने कहा 'उन एक हज़ार हदीस का क्या करोगे जो मैने गढ़ी है' तो हारून रशीद कहने लगा –ऐ अल्लाह के दुश्मन तु कहां फिर रहा है अबु इस्हाक और अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह0 इस की छान भटक कर के हर्फ हर्फ निकाल देगें ।''

(3) बहुत सारे उलमा ने जईफ और मौजू अहदीस को एक जगह पर भी जमा कर दिया है ताकि इंसान को इस की पहचान मे आसानी रहे और वो जईफ और मौजू अहदीस से खूद भी बचे और दुसरो को भी बचने की नसीहत करे ।

अल्हम्दुल्लिाह बातिल ताकते सिर्फ अपने बातिल अमल को साबित करने के लिए झूठी और जईफ हदीसो का सहारा लेकर चीखते रहेंगे और अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सहीह अहदीस पेश नहीं कर सकेगे, हत्ता की अल्लाह का हुक्म आ पहुंचेगा (यानी कयामत) । और दीन की हिफाज़त का अल्लाह का वादा सच होकर रहेगा । क्योकि फरिश्ते आसमान के पहरेदार है और अहले हदीस इस ज़मीन के पहरेदार ।

इस्लामिक दावाअ सेन्टर

रायपुर छत्तीसगढ़

हदीसे एक नज़र मे

हदीस	ऐसा कौल, फेल और तकरीर जिस की निस्बत रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई हो, सुन्नत की भी यही तारीफ है याद रहे कि तकरीर से मुराद आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसी काम की इजाज़त है ।
खबर	खबर के मुत्तालिक 3 अकवाल है 1 खबर हदीस का ही दूसरा नाम है 2 हदीस वो है जो नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हो और खबर वो है जो किसी और से मनकूल हो 3 खबर हदीस से आम है यानि उस रिवायत को भी कहते है जो नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हो और उस को भी कहते है जो किसी और से मनकूल हो ।
आसार	ऐसे अकवाल और अफआल जो सहाबा किराम और ताबई की तरफ मनकूल हो ।
मुतवातिर	वो हदीस जिसे बयान करने वाले रावियो की तादाद इस कदर ज्यादा हो कि उन सब का झूठ पर जमा हो जाना अक्ल मुहाल हो ।
अहद	इससे मुराद ऐसी हदीस है जिस के रावियो की तादाद मुतवातिर हदीस के रावियो से कम हो ।
मरफू	जिस हदीस को नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया हो, ख्वाह उस की सनद मुतसल हो या न हो ।
मौकूफ	जिस हदीस को सहाबी की तरफ मंसूब किया गया हो ख्वाह उस की सनद मुतसल हो या न हो ।
मकतूअ	जिस हदीस को ताबई या इससे कम दर्जे के किसी शख्स की तरफ मंसूब किया गया हो ख्वाह इस की सनद मुतसल हो या न हो ।
सहीह	जिस हदीस की सनद मुतसल हो और इस के तमाम रावी सिका दयानतदार और कुव्वते हाफिज़ा के मालिक हो, और इस हदीस मे कोई खुफिया खराबी भी न हो ।
हसन	जिस हदीस के रावी हाफिज़े के एतबार से सहीह हदीस के रावियो से कम दर्जे के हो ।
जईफ	ऐसी हदीस जिसमे न सहीह हदीस की सिफात पाए जाये और न हसन हदीस की ।
मौजू	जईफ हदीस की वह किस्म जिस मे किसी मनगंठत खबर को रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया हो ।
शाज	जईफ हदीस की वह किस्म जिस मे एक सिका रावी ने अपने से ज्यादा सिका रावी की मुखालिफत की हो ।
मुर्सल	जईफ हदीस की वह किस्म जिस मे कोई ताबई सहाबी के वास्ते के बगैर रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे ।
मुतरक	जईफ हदीस की वह किस्म जिसके किसी रावी पर झूठ की तोहमत हो ।
मुन्कर	जईफ हदीस की वह किस्म जिस का कोई रावी फासिक, बिदअती, बहुत ज्यादा गलतियां करने वाला या बहुत ज्यादा गफलत बरतने वाला हो ।